

पत्रांक-आर/जीएडी/समिति/56/34195

दिनांक -22 नवम्बर, 2017

अति-आवश्यक

प्राचार्या, महिला महाविद्यालय,
समस्त संस्थानों के निदेशक,
समस्त संकायों के संकाय प्रमुख,
समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष,
समस्त केन्द्रों के समन्वयक,
समस्त छात्रावासों के प्रशासनिक संरक्षक/समन्वयक,
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय।



संशोधित अधिसूचना

महोदय,

कृपया अधिसूचना संख्या आर/जीएडी/समिति/56/34195, दिनांक-01.11.2017 के तारतम्य में सूचित किया जाता है कि दिनांक-21.09.2017 को विश्वविद्यालय परिसर में घटित घटना के संदर्भ में गठित जॉच समिति की ओर से दिनांक 25.10.2017 को समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गयी थी जिसके आधार पर घटना के संबंध में साक्ष्य एवं सुझाव जॉच समिति के कार्यालय में दिनांक 15.11.2017 तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई थी। अब इस तिथि को जॉच समिति ने बढ़ाकर 30.11.2017 कर दिया गया है। अतः इस संबंध में जानकारी एवं साक्ष्य तथा सुझाव दिनांक- 30.11.2017 तक समिति के कार्यालय कक्ष संख्या-317, एल.डी. गेस्ट हाउस (एनेक्सी) में उपरोक्त प्रकाशित सार्वजनिक सूचना (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार जमा किये जा सकते हैं।

आप से निवेदन है कि इस सूचना को वृहद रूप से छात्र/छात्राओं में प्रसारित करने की कृपा करें।

नोट- उपरोक्त के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि जॉच समिति की कक्ष संख्या-313, एल.डी.गेस्ट हाउस (एनेक्सी) है।

भवदीय,

बी.एस. विचार्या 22/11/17
सहायक कुलसचिव
(सामान्य प्रशासन)

पत्रांक आर/जीएडी/समिति/56/

तददिनांक-22/11/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्री राम कुमार गुप्त, एच.जे.एस., सचिव, बी.एच.यू. घटना जॉच समिति
2. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सूचना को तत्काल विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की व्यवस्था करे।
3. समन्वयक, संगणक केन्द्र, इस निवेदन के साथ कि उपरोक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा करे।
4. सहायक कुलसचिव एवं कुलपति के सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
5. कुलसचिव के वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

बी.एस. विचार्या 22/11/17
सहायक कुलसचिव
(सामान्य प्रशासन)